निविदा मूल्य : **शून्य**

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)।

राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) के छात्रावास मैस में पंजीकृत ठेकेदारों/संस्थाओं से जो वर्तमान में मैस/कैन्टीन एवं कैटरिंग सेवा प्रदान कर रहे हों, जिनके पास तीन वर्ष का अनुभव हो, से सील बंद निविदाएं आमन्त्रित करते हैं। निविदा निःशुल्क है तथा निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 am से 5.00 pm बजे तक संस्था कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदायें जमा करने की तिथि दिनांक 25.07.2024 (बृहस्पतिवार) सायं 5.00 P.M तक होगी तथा निविदायें खोलने की तिथि 26.07.2024 समय 03.00 P.M प्रधानाचार्य कार्यालय में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता भी उपस्थिति हो सकते है।

राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) जो मुख्य मार्ग सितारगंज से हल्द्वानी (नैनीताल) की तरफ 15 किमी0 की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में स्थित है। संस्था छात्रावास की कुल क्षमता 50 छात्रों की है।

निविदा प्रपत्र

प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) ठेकेदारो/संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमत्रित करता है जिनको मैस/कैंटीन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव हो तथा वर्तमान में कार्य कर रहे हों।

निविदा के विषय में मुख्य जानकारी

1. निविदा फार्म संस्था के स्टोर से दिनांक 15.07.2024 से 25.07.2024 तक प्राप्त एवं जमा किये जा सकते है।
2. पूर्ण रुप से भरी तथा समस्त संलग्नकों सहित निविदायें स्वयं दिनांक 25.07.2024 दोपहर 5.00 बजे तक संस्थान के प्रशासनिक भवन में स्थित लेखा अनुभाग में जमा की जा सकती है। निविदायें पंजीकृत डाक अथवा कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है परन्तु प्रेषित निविदा 25.07.2024 के अपरान्ह 5.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
3. निविदा के सम्बन्ध में आवश्यक शर्तें, महत्वपूर्ण तिथियां, कार्य का सम्पूर्ण विवरण, निर्देश इत्यादि निविदा प्रपत्र में दिये गये हैं तथा यह निविदा प्रपत्र का भाग है। यह अपेक्षित होगा कि निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सभी शर्तों तथा तिथियों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। विलम्ब से प्राप्त, अपूर्ण एवं शर्तों के अनुरुप अभिलेख के बिना जमा

की गयी निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेंगी तथा इस सम्बन्ध में निविदादाता का दावा स्वीकार नहीं होगा।

4. वर्तमान निविदा के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी अथवा पूछताछ के लिए 8126182460 पर अथवा संस्थान की ईमेल आईडी gpshaktifarm1985@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। निविदादाता आवश्यकतानुसार कार्यदिवसों में संस्थान भ्रमण कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
5. निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये समस्त परिशिष्ट तथा अनुलग्नक जो निविदा दस्तावेज के भाग हैं, आवश्यक प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त निविदादाता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उनके नाम के साथ हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बिना हस्ताक्षरयुक्त अभिलेख मान्य नहीं होंगे।
6. निविदा की तकनीकी तथा वित्तीय बिड अलग अलग लिफाफे जिस पर तकनीकी तथा वित्तीय बिड स्पष्ट रुप से अंकित हो में सील कर इन लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर जमा करना होगा। सभी लिफाफों पर **"राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) छात्रावास मे मैस संचालन हेतु निविदा"** स्पष्ट रुप से लिखा होना चाहिए।
7. निविदा के साथ निम्न अभिलेख संलग्न होने चाहिए–

   1) कैटरिंग/केन्टीन सेवाओं के लिए खाद्य सर्टिफिकेट जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हो तथा उपयुक्त अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो।

   2) जी0एस0टी0 पंजीकरण, अथवा आयकर विभाग का पैन नं0 होना चाहिए।

   3) निविदा कर्ता को एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह देश के किसी भी न्यायालय या कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है या कानूनी विवाद नहीं चल रहा है।

   4) सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा कभी भी काली सूची में न होने का स्वघोषित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   5) ठेकेदार/संस्थाओं के पास सरकारी विभाग/शिक्षण संस्थाओं, सकूल, कालेजों /निजी संस्थान में कार्य करने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
8. सफल निविदादाता को दो दिवस के अन्दर रुपये 30,000/– (रुपये तीस हजार मात्र) की प्रतिभूति धनराशि जो कम से कम एक वर्ष के लिए वैध किसी भी बैंक पर आहरित सावधि जमा रसीद के रुप में हो जमा करना होगा। सावधि जमा रसीद प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) के नाम से आहरित तथा देय होनी चाहिए।
9. निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति धनराशि जमा न करने पर ऐसे निविदा–दाता की की निविदा निरस्त करते हुए अगले न्यूनतम निविदा–दाता को अवसर प्रदान कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में प्रथम न्यूनतम निविदा–दाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. निविदा खोलने की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
11. निविदा के सम्बन्ध में सर्वाधिकार समिति तथा प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
शक्तिफार्म (ऊ.सि. नगर)

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)

मेस संचालन के लिए विशिष्ट/विशेष नियम और शर्ते–

निम्नलिखित नियम और शर्ते जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगीं–

1–यह छात्रावास मैस अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए है। यदि छात्रावास के छात्र और छात्रावास अधीक्षक बोली लगाने वाले के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं तो अनुबंध की अवधि को बिना निविदा आंमत्रित किये 02 वर्ष अर्थात (अधिकतम कार्यकाल 03 वर्ष तक बढाया जा सकता है)।

2–छात्रावास बिजली, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा। सामान्य टूट–फूट के अलावा किसी भी प्रकार के नुकसान/क्षति के लिए वह जिम्मेदार होगा। किसी भी नुकसान या क्षति के मामले में निविदादाता को खोई हुई वस्तुओं को बदलना होगा/वार्डन के अनुमोदन और निर्देश के अधीन आवश्यक मरम्मत करनी होगी।

3–छात्रावास मैस के आसपास सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति बनाये रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफाई के सम्बन्ध में वार्डन के सुझावों/कार्यो का पालन करना होगा और इस पर होने वाला खर्च निविदादाता को वहन करना होगा।

4–छात्रावास मैस के संचालन और प्रबंन्धन के लिए निविदादाता को पर्याप्त कार्मिकों को रखना होगा। प्रत्येक छात्रावास मैस कार्यकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

5–निविदादाता/एजेंसी द्वारा तैनात प्रबन्धक/कर्मचारियों को किसी भी छात्र/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए।

6–संस्थान परिसर में धूम्रपान और नशा (शराब, गुटखा, तंबाकू आदि) सख्त वर्जित है।

7–अनुबंध अवधि के दौरान ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध सेवा समाप्ति के लिए दोनों ओर से एक महीने का नोटिस आवश्यक है।

8–निविदादाता को छात्रावास मैस में एक शिकायत पंजिका रखना आवश्यक होगा जिसका छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

9–यदि प्रबन्धक का छात्रावास मैस प्रबन्धन उचित नहीं पाया गया या भोजन की गुणवत्ता मानक से नीचे या अस्वास्थ्यकर या अस्वच्छ पाई जाती है तो संस्थान को पूर्णरूप से अधिकार होगा कि वह एक सप्ताह के अल्प नोटिस के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। छात्रावास अधीक्षक/समिति की राय अंतिम मानी जाएगी।

10–भोजन कच्चा माल, सामग्री आदि बेहतर गुणवत्ता स्वच्छ,ताजा, पौष्टिक और स्वच्छ होने चाहिए। किसी भी प्रकार के पके हुए भोजन को भोजन करने के बाद संग्रहित/संरक्षित नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में वार्डन के सुझावों/निर्देशों का पालन नहीं करना, अनुबंध के नियमों और शर्तो का उल्लघंन माना जाएगा और इसके लिए दडिंत किया जाएगा।

(3)7

11–मैस में कार्य करने वाले कर्मचारी और रसोइया स्वस्थ और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें नियमित रूप से चिकित्सा जांच करानी होगी जिसका व्यय छात्रावास मैस प्रबन्धक को स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई छात्रावास मैस कर्मचारी चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसे अपने कर्तव्यों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती और छात्रावास मैस प्रबन्धक को तुरन्त उस कार्मिक को बदलना होगा।

12–निविदादाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि छात्रावास मैस के कर्मचारी उचित एवं स्वच्छ यूनिफॉर्म में हों।

13–इस निविदा के साथ निविदादाता के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले दैनिक मैन्यू का नमूना संलग्न है मौसमी सब्जियों की उपलब्धता और उनकी बाजार आपूर्ति के अनुरूप विशेष दिवसों पर छात्रावास अधीक्षक के साथ मैन्यू में बदलाव किया जा सकता है।

14–भोजन निर्धारित समय पर देय होगा। विषम परिस्थिति आने पर समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

15– किसी छात्र के अस्वस्थ होने पर मैस प्रबन्धक अस्वस्थ छात्र को हल्का भोजन प्रदान करेगा और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नही दिया जाएगा।

16–मैस प्रबन्धक को छात्रों से खाना खाने की मासिक अग्रिम धनराशि लेनी होगी। छात्रों/अतिथियों/स्टाफ के खाने के बिल के लेनदेन की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

17–संस्थान के मैस में जो भी सामग्री उपलब्ध होगी वह मैस प्रबन्धक को उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा मैस समाप्ति के उपरांत उसी स्थिति में पुनः वापस ले लिया जाएगा।

18–छात्रावास मैस के भुगतान की गणना छात्रावास मैस के संचालन के वास्तविक दिनों में होगी।

19–मैस के बर्तनों को प्रत्येक भोजन के उपरांत डिटजैंट पाउडर/साबुन का उपयोग करके गर्मपानी से साफ करना होगा।

20–निविदादाता को अपने सभी कर्मचारियों का पूर्णविवरण बना कर पंजिका रखनी होगी तथा उनका परिचय पत्र मय तस्वीर संस्थान को उपलब्ध कराना होगा।

21–मैस के कर्मचारियों में से किसी को भी यदि चोट/मृत्यु की दशा में या किसी भी दुर्घटना की अवस्था में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा संस्थान का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

22–खाद्य विषाक्तता की घटनाओं के मामले में निविदादाता पूरी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी होगा और छात्रावास के छात्रों के चिकित्सा उपचार के समस्त खर्चे को वहन करेगा।

23–निविदादाता छात्रावास मैस में किसी भी ऐसे कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा जिसका चरित्र संदिग्ध हो अथवा किसी भी अपराध/पुलिस मामले में संलग्न हो।

24–छात्रावास मैस में कर्मचारियों को नियोजित करने के सम्बन्ध में निविदादाता को सभी श्रम कानूनों/शासकीय अधिनियमों का पालन करना होगा। किसी भी विवाद/श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

25–छात्रावास मैस के कर्मचारियों के अनुचित व्यवहार के लिए प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। छात्रावास के छात्रों या संस्थान के किसी कार्मिक के साथ मैस के किसी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार करने पर मैस प्रबन्धक संस्थान को सूचित करेगा तथा वार्डन के सुझाव के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

26–किराने की वस्तुओं की उच्च गुणवत्ता का ही उपयोग करने की अनुमति होगी।

27–खाद्य सामग्री के अपव्यय के कारण रूकावट के मामले में ड्रेनेज लाइन का रखरखाव/मरम्मत निविदादाता के द्वारा स्वयं के व्यय पर करना होगा।

28–फर्म को सौंपे गये कार्य के लिए ठेकेदार किसी भी उपठेकेदार को नियुक्त नहीं करेगा। निविदादाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी व्यक्ति/फर्म को कार्य हस्तांतरित या सबलेट नही करेगा।

29–निविदादाता भारत सरकार के प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार इस अनुबन्ध के निष्पादन के लिए एक समझौता करेगा और इसके लिए पूरी लागत वहन करेगा।

30–निम्न लिखित नियमों के उल्लघंन के मामले में मैस प्रबन्धक पर जुर्माना लगाया जाएगाः–

(क) काउंटर पर शिकायत रजिस्टर का न पाया जाना/शिकायत को हतोत्साहित करने पर रूपये 1000–00 का जुर्माना लगाया जायेगा।

(ख) किसी भी भोजन में कीड़े पाये जाने की दो या दो से अधिक शिकायत पर 2000–00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।

(ग) छात्रावास मैस में एक दिन में 10 अशुद्ध/गन्दे बर्तन पाये जाने पर 2000–00 रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।

(घ) समिति की अनुमति के बिना मेन्यू में परिवर्तन करने पर रु0 2000–00 जुर्माना लगाया जायेगा।

31–सुरक्षा विनियम अनुबंध के हिस्से के रूप में सौंपे गये कार्य को करने के लिए ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के सबंध में ठेकेदार सुरक्षा कोड के अनुसार अपने स्वयं के खर्चे पर श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। सी0पी0डब्ल्यू0डी,भारतीय मानक संस्थान,विद्युत अधिनियम,विभिन्न सुरक्षा नियम, उसके तहत बनाये गये नियम और आदेश और ऐसे अन्य अधिनियम जो लागू हों, ठेकेदार को पूर्ण करना होगा।

32–सांविधिक प्रावधानों की पूर्ति – ठेकेदार प्रासंगिक अधिनियम के सभी वैधानिक प्राविधानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, ठेका श्रमिक (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम और अन्य सभी श्रम और औद्योगिक अधिनियम अपने जोखिम और लागत पर उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के सबंध में किसी भी अधिनियम आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लघंन/गैर अनुपालन के लिए संस्थान के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के लिए संस्थान को क्षति पूर्ति दी जाएगी। इसलिए किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी एक का भी अनुपालन न करने या उल्धंन के कारण अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो जाएगी। ठेकेदार वैधानिक अधिनियमों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी अभिलेखों को बनाए रखेगा। वार्डन और उसके अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय ऐसे सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए हकदार होंगे।

33–कामगारों को दुर्घटना या चोट –बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कामगार या अन्य व्यक्तियों को किसी भी दुर्घटना या चोट के सबंध में या उसके

परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। ठेकेदार को इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे को स्वयं वहन करना होगा।

34–किसी भी परिस्थिति में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) के साथ किसी भी प्रकार के रोजगार के लिएठेकेदार के कर्मचारी का कोई दावा नही होगा।

35–छात्रावास के अन्तःवासियों को दिये जाने वाला नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन की मात्रा सीमित नहीं होगी।

मैस सेवा हेतु साप्ताहिक मेन्यू

समय के अनुसार दिया जाने वाले आहार के सांकेतिक/सामान्य मैन्यू का वर्णन किया गया है। अनुबंध काल में आहार की मात्रा जो कितनी भी हो सकती है का वर्णन नहीं किया गया है

दिन	सुबह का नाश्ता	दिन का भोजन	रात का भोजन
सोमवार	आलू पराठा, आचार व चाय।	अरहर दाल मौसमी सब्जी रोटी चावल सलाद।	मसूर दाल, आलूटमाटर सब्जी, रोटी, चावल।
मंगलवार	पूरी सब्जी अचार और चाय	दाल, मिश्रित सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	चना लौकी, मूगदाल, रोटी, चावल।
बुधवार	मिक्स पराठा, दही आचार व चाय	राजमा, बैंगन भर्ता, रोटी, चावल सलाद	मसूर दाल, सब्जी, रोटी चावल,
बृहस्पतिवार	छोले भठूरे, अचार व चाय	अरहर दाल, आलू लोकी कोफ्ता, रोटी, चावल, सलाद	आलू गोभी सब्जी, चना दाल, रोटी, चावल
शुक्रवार	बन टिक्की या बन समोसा, वेज पकोडा और चाय	आलू, सोया बड़ी और उड़द दाल धूली, रोटी चावल, सलाद	दाल, आलू बीन सब्जी, रोटी, चावल
शनिवार	प्लेन पराठा, सब्जी के साथ, अचार और चाय	कढ़ी पकोडा, रोटी, चावल सलाद।	सब्जी, पूरी रोटी चावल
रविवार	ब्रेड पकोडा सॉस या चटनी और चाय	राजमा, मिक्स सब्जी, खीर, पुलाव, पूरी सलाद।	--

उक्त के अतिरिक्त सांयकालीन 5:00 बजे से 6:00 बजे के मध्य चाय देना आवश्यक है।

राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) छात्रावास मैस/कैंटीन निविदादाता को अनुभव, पहले किये गये अनुबंधों, सभी क्षेत्रों के भोजन तैयार करने की क्षमता, प्रबन्धकीय क्षमताओं और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा अर्थात निविदा समिति द्वारा उपयुक्त माना जाएगा। यदि आवश्यक हो तो

प्रतिनिधियों/वार्डन की समिति निविदादाता द्वारा बनाये जा रहे भोजन आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए उसके छात्रावास मैस सेवाओं के वर्तमान अनुबंध के स्थान पर भी की जा सकती है। मैस निविदादाता से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास के छात्रों का स्वास्थ्य ,स्वच्छता, सुरक्षा और संतुष्टि मेस की प्राथमिकता है।

उपरोक्त मेन्यू अस्थाई है और अनुबध कर्ता और छात्रावास मैस कमेटी के आपसी सहयोग से परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आपकी फर्म सेवा प्रदान करने की स्थिति में है तो आप सर्विस प्रदान करने के लिए अपनी दरें प्रदान कर सकते है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
शक्तिफार्म (ऊ.सि. नगर)

प्रति छात्र प्रतिदिन की दर घोषित करें ....

जी0एस0टी यदि लागू है तो जोड़े ....

योग अकों में– ....

योग शब्दों में– ....

मै...पुत्र श्री..मैसर्स. .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त नियम एवं शर्तें मान्य है।

स्थानः–

दिनांक –

हस्ताक्षर–

नाम एवं पता–

मो0न0–

7/7

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलीटेक्निक शक्तिफार्म,
सिडकुल सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)।

महोदय,

मैने उपरोक्तानुसार नियम और शर्तों को पढ़ लिया है तथा मेस संचालन के लिये मेरे द्वारा निम्नानुसार दरें घोषित की जाती हैं–

प्रति छात्र प्रतिदिन की दर घोषित करें ....

जी0एस0टी यदि लागू है तो जोड़े ....

योग अकों में– ....

योग शब्दों में– ....

मै...पुत्र श्री..मैसर्स. .... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे उपरोक्त नियम एवं शर्तें मान्य है।

हस्ताक्षर निविदा–दाता–

नाम एवं पता–

मो0न0–
स्थानः–
दिनांक –